बिहार सरकार
विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/स्था0(विविध)-20-13/2011/...29.../जे0, दिनांक ...11.03.14....

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-72/जे0, दिनांक-19.06.2013 सह पठित ज्ञापांक-4544/जे0, दिनांक-20.06.2013 द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने एवं कार्यालय छोड़ने के समय कम्प्यूटर में अपनी उपस्थिति अंकित करने के संबंध में कतिपय निदेश दिये गये है। परंतु निरीक्षण के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त विभागीय निदेश का पालन दृढता पूर्वक नही किया जा रहा है। अतएव इस परिप्रेक्ष्य में पुनः अंतिमबार निदेश दिया जाता है कि:-

1. (i) सभी विभागीय पदाधिकारी (न्यायिक पदाधिकारी सहित) कार्यालय आने के समय (क्रमशः 9.30 से 10.00 बजे पूर्वाहन) एवं कार्यालय छाड़ने के समय कम्प्यूटर से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगें। अगर वे कम्प्यूटर में अपनी उपस्थिति दर्ज नही करेंगें तो उन्हें उक्त तिथि को कर्त्तव्य से अनुपस्थित माना जायेगा।

(ii) सभी विभागीय कर्मचारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित संविदा पर नियुक्त कर्मी) उपस्थिति पंजी के अलावा कम्प्यूटर से भी अपनी दैनिक उपस्थिति 10.00 बजे पूर्वाहन के अंदर निश्चित रूप से अंकित करेंगें तथा कार्यालय छोड़ने के समय भी निश्चित रूप से कम्प्यूटर में अपनी उपस्थिति अंकित करेंगें। अगर वे कार्यालय आने एवं कार्यालय छोड़ने के समय कम्प्यूटर से अपनी उपस्थिति दर्ज नही करेंगें तो उन्हें उक्त तिथि को अनुपस्थित मानते हुए उनका वेतन से कटौती कर ली जायेगी।

(iii) सभी कार्यालय परिचारी एवं ट्रेजरी सरकार उपस्थिति पंजी में नियत समय पर कार्यालय आने के समय उपस्थिति पंजी मे उपस्थिति अंकित करने के अतिरिक्त विभागीय आई0टी0मैनेजर तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री गोपाल प्रसाद अथवा श्री दीपक कुमार शर्मा कम्प्यूटर ऑपरेटर के समक्ष कम्प्यूटर से अपनी उपस्थिति अंकित करेंगें तथा कार्यालय छोड़ने के समय भी निश्चित रूप से कम्प्यूटर से अपनी उपस्थिति अंकित करेंगें। यदि वे कार्यालय आने एवं कार्यालय छोड़ने के समय कम्प्यूटर से अपनी उपस्थिति अंकित नही करेंगें तो उन्हें कर्तव्य से अनुपस्थित मानते हुए संबंधित तिथि का वेतन की कटौती कर ली जायेगी।

2. उक्त निदेश विभागीय पदाधिकारियों के कोषांग (अद्योहस्ताक्षरी का कोषांग सहित) में पदस्थापित सभी ग्रेड के कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा।
3. उक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ......1860....../जे0 पटना, दिनांक 12-03-14

प्रतिलिपिः- सभी विभागीय पदाधिकारीगण (न्यायिक पदाधिकारी एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सहित) सभी विभागीय कर्मचारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

E:\PUSHPA K\Secretary\offce order\B. Stha Vividh.doc